(वाद संख्या–1192/17)

30.09.2019

परिवादी की ओर से उनके श्वसुर सुरेश सिंह, उपस्थित हैं।

वरीय पुलिस अधीक्षक, पटना से मांगा गया प्रतिवेदन अप्राप्त है।

प्रस्तुत मामला रेखा देवी की हत्या से संबंधित फतुहाँ थाना कांड सं0–199/16, दिनांक–07.05.2016 (अन्तर्गत धारा 302/201/120 (बी) भा0द0वि0) में परिवादी के ससुर, सुरेश सिंह (मृतिका के ससुर), मनोरंजन सिंह (मृतिका के पति) व सुबोध सिंह (मृतिका के पड़ोसी) के गलत अभियुक्तिकरण से संबंधित है।

परिवादी के श्वसुर का कथन है कि पुलिस उप–महानिरीक्षक, केन्द्रीय क्षेत्र, पटना द्वारा अपने ज्ञापांक–1646/अप0शा0, दिनांक–10.04.2019 द्वारा प्रस्तुत कांड की समीक्षा की गयी तथा उनके द्वारा उपरोक्त सुरेश सिंह, मनोरंजन सिंह तथा सुबोध सिंह के विरूद्ध प्रस्तुत कांड में उनकी संलिप्तता का कोई साक्ष्य नहीं पाया गया है। अपने समीक्षात्मक टिप्पणी में पुलिस उप–महानिरीक्षक, केन्द्रीय क्षेत्र, पटना द्वारा सी0डी0आर0 विश्लेषण से प्रस्तुत कांड में रजनीश कुमार उर्फ संटू व उसके पिता रंजीत सिंह की संलिप्तता पायी गयी है।

परिवादी के श्वसुर का कथन है कि प्रस्तुत कांड में पुलिस द्वारा अन्वेषणोपरान्त परिवादी के श्वसुर व अन्य लोगों के विरूद्ध संबंधित न्यायालय में आरोप–पत्र समर्पित किया जा चुका है। परिवादी के ससुर का यह भी कथन है कि उसके प्रार्थना पर द0प्र0स0 की धारा–173 (8) के अन्तर्गत प्रस्तुत कांड का अग्रतर अनुसंधान किया जा रहा है।

कार्यालय, आज पारित आदेश की प्रति के साथ पुलिस अधीक्षक, ग्रामीण, पटना से दिनांक–23.01.2020 के पूर्व प्रस्तुत कांड के अग्रतर अनुसंधान के संबंध में अद्यतन प्रतिवेदन की मांग करे।

आज परिवादी के ससुर की उपस्थिति में आदेश पारित किया गया है। अतः अगली निश्चित तिथि की सूचना के संबंध में उन्हें सूचित करने की आवश्यकता नहीं है।

सुनवाई हेतु संचिका दिनांक–23.01.2020 को उपस्थापित किया जाय।

(उज्ज्वल कुमार दुबे)
कार्यकारी अध्यक्ष

<u>सहायक निबंधक</u>